## <u>न्यायालय</u>— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला–बालाधाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक—983 / 2013</u> संस्थित दिनांक—29.10.2013

## (<u>आज दिनांक—13/02/2015 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—327, 427, 384 भा.द. सं. के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—16.10.2013 को सुबह करीब 8:30 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम परसवाड़ा बस स्टेण्ड में फरियादी मुकेश उर्फ गोलू से अवैध रूप से पैसे की मांग को लेकर उसे मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित कर फरियादी की दुकान में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाकर रिष्टी कारित की एवं फरियादी को क्षिति करने के भय में साशय डालकर पैसे की मांग कर उद्दापन कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—16.10.2013 को सुबह 8:30 बजे ग्राम परसवाड़ा बस स्टेण्ड में फरियादी मुकेश कुमार ने बाल कटिंग की दुकान खोली तो एक अज्ञात व्यक्ति उसकी दुकान पर आया और कुर्सी पर बैठ गया तो वह उसके बाल काटने तैयार हुआ, उसी समय गांव का अनिल गोंड शराब पीकर आया और उससे कहा कि खर्चे के लिए पैसे दो और पैसे नहीं देने पर उसने एक पत्थर उठाकर दुकान के शीशे में मारा, जिससे शीशा टूट—फूट गया। ग्राहक उठकर चला गया तब उसने आरोपी से कहा कि उसने ऐसा क्यों किया है, तो आरोपी ने उसे दो—तीन तमाचा और लात से मारपीट कर दिया। उक्त घटना को राजेश सोनी तथा रिव पुसाम ने दूर से देखा और सुना था। आरोपी ने कहा कि बिना उसे पैसा दिए उसकी दुकान नहीं चलेगी। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थी ने थाना परसवाड़ा में जाकर की। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—68/13, धारा—327 मा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा घटना स्थल से घटना

में प्रयुक्त पत्थर एवं कांच के टुकड़े जप्त किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा–427, 384 भा.द.वि. का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—327, 427, 384 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान फरियादी मुकेश ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को धारा—327, 427 भा.द.वि. के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष अपराध धारा—384 भा.द.वि. का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फॅसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

## 4— 🗼 प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक—16.10.2013 को सुबह करीब 8:30 बजे थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम परसवाड़ा बस स्टेण्ड में फरियादी मुकेश उर्फ गोलू को क्षिति करने के भय में साशय डालकर पैसे की मांग कर उद्दापन कारित किया ?

## विचारणीय बिन्दू का सकारण निष्कर्ष :-

फरियादी मुकेश सराठे (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथून किया है कि वह हाजिर आरोपी को पहचानता है। घटना पिछले साल सुबह लगभग 8 बजे ग्राम परसवाडा की बात है। आरोपी से उसका बाल काटने की बात को लेकर मौखिक वाद-विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में किया था। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था। पुलिस ने उसका ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में कराया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी—3 नहीं बनाया था। प्रदर्श पी—3 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी उसकी दुकान में शराब पीकर आया था और उससे खर्चे की मांग करते हुए पैसे न देने पर उसकी दुकान में तोड़-फोड़ कर उससे मारपीट किया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी-1 एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 में आरोपी के द्वारा उक्त पैसे की मांग कर मारपीट किये जाने व दुकान का शीशा फोड़ने की बात बताई थी। साक्षी ने राजीनामा होने के कारण सही बात नहीं बताने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं फरियादी होकर भी अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है।

6— लित कुमार (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह हाजिर आरोपी एवं प्रार्थी को पहचानता है। उसे घटना कब की है, याद नहीं है। उसकी बाल काटने की दुकान में मुकेश उर्फ गोलू काम करता था। घटना समय वह अपनी दुकान पर नहीं था। उसे मुकेश ने फोन करके बताया कि उसका आरोपी से वाद—विवाद हो गया है। उसे घटना के सबंध में इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान नहीं लिया था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने फिरयादी मुकेश से पैसे की मांग करते हुए उसे मारपीट किया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—5 से एवं उसके सामने नुकसानी पंचनामा तैयार करने से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले में महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी तिरथ प्रसाद चौबे (अ.सा.३) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह दिनांक 16.10.13 को थाना परसवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी मुकेश उर्फ गोलु की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-68 / 13 धारा 327 भा.द. वि के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध कमांक की डायरी विवेचना हेत् प्राप्त होने पर दिनांक 16.10.13 को मुकेश की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी-नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही मुकेश, साक्षी ललित, रवि एवं दिनांक 18.10.13 को साक्षी राजेश के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक 16.10.13 को प्रार्थी की दुकान से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 अनुसार पत्थर का टुकड़ा एवं कांच के टुकड़े जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी अनिल को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी मुकेश की सैलून दुकान में लगे शीशा की नुकसानी बाबत् जिसमें लगभग 3 हजार रूपये की नुकसानी हुई थी, नुकसानी पंचनामा साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के विरूद्ध में भा.द.वि की धारा 427, 384 का अपराध सिद्ध पाए जाने पर अंतिम प्रतिवेदन में उक्त धाराओं को बढाया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

8— अभियोजन की ओर से फरियादी मुकेश (अ.सा.1) व चक्षुदर्शी साक्षी लिलत (अ.सा.2) की साक्ष्य पेश की गई है, उक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में आरोपित अपराध के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है, इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण के द्वारा साक्ष्य में अभियोजन का समर्थन न किये जाने से मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी की अनुसंधान कार्यवाही का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में साक्ष्य के अभाव में अभियोजन का मामला पूर्णतः संदेहास्पद हो जाता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने फरियादी मुकेश उर्फ गोलू को क्षति करने के भय में साशय डालकर पैसे की मांग कर उद्दापन कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-384 के अपराध के अन्तर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है। 10-

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति शीशा के टुकड़े व एक पत्थर मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) ATTENDED OF THE PARTY OF THE PA न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,